भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3183

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में एमएसएमई को बढ़ावा देना

3183. डॉ. अमर सिंहः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का पंजीकरण हुआ है और उनके द्वारा कितना रोजगार सृजित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दी गई वित्तीय सहायता, ऋण सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और क्लस्टर विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फतेहगढ़ साहिब जिले में किफायती ऋण, अवसंरचना, कुशल जनशक्ति और बाजार संपर्क सहित एमएसएमई के समक्ष पेश आ रही चुनौतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का फतेहगढ़ साहिब जिले में कोई नया एमएसएमई क्लस्टर, सामान्य सुविधा केन्द्र अथवा औद्योगिक अवसंरचना परियोजना स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त जिले में एमएसएमई के माध्यम से निर्यात, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): पंजाब राज्य के फतेहगढ़ जिले में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई और उन पर दर्ज रोज़गार की संख्या इस प्रकार है:

पंजीकृत एमएसएमई और दर्ज किए गए रोजगार की संख्या		
वर्ष	**पंजीकृत एमएसएमई की संख्या**	**दर्ज किए गए रोजगार**
2021-22	4,079	21,584
2022-23	5,546	20,168
2023-24	10,810	27,676
2024-25	11,808	35,302
2025-26	9,909	25,509
कुल	42,152	1,30,239

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले सहित देश भर में एमएसएमई को वित्तीय सहायता, क्रेडिट सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास और निर्यात संवर्धन जैसी सुविधाएं देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

i. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फतेहगढ़ साहिब जिले को विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई कुल वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:

विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता, वर्ष 2020-21 से 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक)		
स्कीम	**गारंटीकृत ऋणों की संख्या**	**गारंटीकृत ऋणों की राशि (करोड़ रुपए में)**
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस)	2,569	293.55
ईसीएलजीएस-5.0	423	269.47
स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम	29	3.59
कोविड से प्रभावित क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम	1	4.75
माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम	1,874	7.92
एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम	1	5.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम	1	1.40
सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	18,374	254.62
कुल	23,272	840.3

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी न लें।

iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी दी जाती है, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी दी जाती है। पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) के दौरान, फतेहगढ़ साहिब जिले में कुल 223 सूक्ष्म उद्यमों को 6.18 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत, पात्र एमएसई को 10 करोड़ रुपए तक के कोलेटरल मुक्त संस्थागत ऋणों के लिए गारंटी कवरेज दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, फतेहगढ़ साहिब जिले के लिए 975 करोड़ रुपए के 5,777 गारंटी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

v. प्रौद्योगिकी अपनाने, गुणवत्ता में सुधार करने, इनोवेशन और बाज़ार तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई चैंपियंस स्कीम लागू करता है, जिसमें एमएसएमई सतत (ज़ेड) प्रमाणन स्कीम, एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम, एमएसएमई-नवप्रवर्तन (इनक्यूबेशन, डिज़ाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर)) स्कीम और प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम शामिल हैं।

vi. मंत्रालय उद्यमिता से जुड़ी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) को कार्यान्वित करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, फतेहगढ़ साहिब जिले में 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 774 प्रतिभागियों को लाभ पहुंचा।

vii. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, 20 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

viii. एमएसएमई मंत्रालय, अनुषंगी निधियों (डॉटर फंड्स) के माध्यम से एमएसएमई को विकास इक्विटी सहायता देने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष' लागू करता है।

ix. बाज़ार तक पहुंच के लिए, मंत्रालय एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति, प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम, वेंडर विकास कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठक, व्यापार मेले और जागरूकता कार्यक्रम लागू करता है।

x. सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफ़सी) और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (आईडी) परियोजनाओं की स्थापना करने के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्ताव मिलने पर विचार किया जाता है। इस स्कीम के तहत फतेहगढ़ साहिब जिले में नया एमएसएमई क्लस्टर, सामान्य सुविधा केंद्र या इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना शुरू करने के लिए पंजाब सरकार से कोई पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

xi. एमएसएमई के माध्यम से निर्यात, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पूरे निर्यात तंत्र को मज़बूत करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंज़ूरी दी है। ईपीएम के तहत, 'निर्यात प्रोत्साहन' के ज़रिए समर्थन प्रदान किया जाता है, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार फाइनेंस की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करता है, और 'निर्यात दिशा' के ज़रिए गैर-वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाज़ार तक पहुँच के उपाय, लॉजिस्टिक्स की सुविधा और निर्यात तंत्र बनाने के उपाय शामिल हैं।

xii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफ़सी) स्थापित किए हैं, ताकि निर्यात से जुड़ी स्कीमों की जानकारी देकर और निर्यात के अवसरों की सुविधा देकर एमएसएमई को परामर्शी और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जा सके।
